

वन विभाग, हरियाणा सरकार  
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, जीन्द

पुराना हांसी रोड, नजदीक बीड बडा बन, वन कम्पलैक्स, जीन्द

E.Mail Address: [dfojind2009@rediffmail.com](mailto:dfojind2009@rediffmail.com)

फ नं० 01681 255458

क्रमांक: 678 /पटवार दिनांक: 18/08/2021

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक,  
पश्चिमी परिमण्डल,  
हिसार।

Sub :


Diversion of 0.185 hect. of Forest land in favour of Executive Engineer, HSVP Division No.1, Hisar for laying of external HUDA Sewer Line in Sector 6, 7, 8 & 9 under Forest Division & Distt. Jind (Haryana).

Online Proposal No. FP/HR/Others/27730/2017

.....

विषयांकित केस चैकलिस्ट के क्रमानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर तैयार करके तीन प्रतियों में पत्र के साथ सलंगन भेजा जाता है। यह भी अवगत करवाया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले 0.185 है० क्षेत्र की प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम की राशी जमा नहीं करवाई गई है। केस में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एफ०सी०ए० 1980 की कोई उल्लंघना नहीं की गई है। केस में 370 पौधों के पौधारोपण हेतु प्रतिपूर्ति पौधारोपण Jind No.5 RD 35-60 L&R side का चयन किया गया है। केस में 2 विविध श्रेणी के पेड बाधित होंगे। केस पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार की वेब साईट पर अपलोड कर दिया गया है।


सलंगन/यथो०

  
वन मण्डल अधिकारी,  
जीन्द।

पृ० क्रमांक : 679-80 दिनांक : 18/08/2021 18/8/21

एक प्रति निम्नलिखित को :-

1. व०रा०अ० जीन्द को उनके पत्र क्रमांक 294-जे० दि० 10.08.2021 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है तथा निर्देश दिए जाते हैं कि बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किए प्रयोक्ता एजेंसी को गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि को उपयोग में न लाने दिया जावे। केस में सी०ए० स्कीम के तहत लगाए जाने वाले 370 पौधों हेतु Jind No.5 RD 35-60 L&R side का चयन किया गया है, पर अन्य किसी स्कीम के तहत पौधारोपण न करवाया जावे तथा उक्त क्षेत्र को पौधारोपण हेतु सुरक्षित रखें।
2. Executive Engineer, HUDA Division No.1, Hisar को उनके पत्र क्रमांक 15204 दि० 30-06-2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

  
वन मण्डल अधिकारी,  
जीन्द।